राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी

मैनुअल – 13 रियायतों, परमिटों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ता का विवरण

कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की सहायता/रियायत निर्गत करने का कार्य नहीं किया जाता हैं। केवल विभिन्न शासनादेशों द्वारा अनुमन्य आरक्षण सुविधायें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिलायों, सैनिक आश्रितो आदि वर्गो हेतु प्रशिक्षण स्थानों में दी जाती हैं।

इनके अतिरिक्त शासनादेशों द्वारा अनुमन्य सैनिकों एवं जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी प्रशिक्षण स्थान आरक्षित किये जाते हैं।

विभिन्न वर्गो के प्रशिक्षार्थियों को शासनादेशों द्वारा अनुमन्य छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं ।

Scanned with OKEN Scanner